

In the Court of Circle Office Deoghar
ORDER COPY OF M.C.N.O - 246 / 2023-24

Duplicate Copy

13-Jun-2023

पत्र प्र० ४५५१
लो २०८-२०२३

आदेश

Date of ready
12-7-2023

Date of delivery
12-7-2023

तिथि

May 29
2023

आदेश पर की गई¹
कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा सलौनाटाड़ थाना देवघर

खाता	प्लॉट	रक्कम
26नया अंश	TPP 278 अंश	0 एकड़, 3.443 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

बिक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री पप्पु सिंह	पिता	स्वर्गीय हरि मोहन सिंह
श्रीमती चन्दा सिंह	पति	श्री पप्पु सिंह



है जिन्होनें निर्बंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 256 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री पप्पु सिंह	पिता	स्वर्गीय हरि मोहन सिंह
श्रीमती चन्दा सिंह	पति	श्री पप्पु सिंह



वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि मौजा सलौनाटाड़ थाना नंबर 253 अंतर्गत असर्वेक्षित बसोड़ी सत्व की है एवं निर्बंधित बिक्रय पत्र द्वारा क्रय कर दखलकार है अतः दखल एवं दलील के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है। | अतः राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन व अनुशंसा, निर्बंधित दलील एवं दखल के आधार पर नामान्तरण की स्वीकृति दी जाती है। यह आदेश पूर्णतः अपीलीय है। इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जा सकता है।

अतः वार्षिक लगान 35 रुपये

स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :


MOTI LAL HEMBROM
अंचलाधिकारी देवघर

Ready by *Motilal*
12-7-2023

नक्ल किया

मिलान किया

25-12-2023
प्रधान सचिव
अंचल कार्यालय, देवघर



C.R.
NO
242

ATTESTED
8/24/23
D.T.A.T./REUD NO. 225/23
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)